

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



[Handwritten Signature]

क. वनजा वेंकटा रमणा
K. VANAJA VENKATA RAMANA
पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी
Passport Granting Officer
पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद
Passport Office, Hyderabad

पासपोर्ट
PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA





6	686 / VISA	686 / VISA	7





10	₹/VISA	₹/VISA	11



12 13



14 15

₹/VISA ₹/VISA



16 17



8324700H

18 @IN / VISA @IN / VISA 19



NO 074333

8524700H

20

REG / VISA

REG / VISA

21



40074229

85247004

22

for / VISA

for / VISA

23



M0074229

85347004

24

DP / VISA

DP / VISA

25



NOO71.238

8524700H

26

800 / VISA

800 / VISA

27



M0074239

65247004

28

001 / VISA

001 / VISA

29



N0074239

23347004

30

REG / VISA

REG / VISA

31



MOOTL239

ESS4T00H

22

Not / VISA

Not / VISA

23



H0074239

पंजीकरण

विदेशों में अपने अपने भारतीय मामलों को संचालित करने के लिए निम्नलिखित भारतीय मिशन/केन्द्र में अपना पंजीकरण कराएँ।

पंजीकरण

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिससे पासपोर्ट खो जाने की संभावना हो सकती है तो तत्काल सूचना देना आवश्यक है।

चेतावनी

यह पासपोर्ट इसके द्वारा किसी भी देश से अंतर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के बचते में ही होना चाहिए। इसके किसी भी प्रकार का फेरबदल या भिन्नता नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट छुप हो जाने, खो गी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को सन्तुष्ट हो जानी चाहिए। बिना पुष्टता के यह ही दुर्लोकित पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

